संख्या– जी–2–17/दस–2011

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 25 जनवरी, 2011

विषयः राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के ब्राडशीट के रख–रखाव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय–ज्ञाप संख्या जी–2–1762/दस–521–1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के अनुलग्नक के प्रस्तर–8 में यह स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक आहरण–वितरण अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के प्रतिमाह जमा एवं आहरण का विवरण भेजेगें एवं विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त विवरण का रख–रखाव एक पंजिका में करेंगें और इस विवरण को विभागाध्यक्ष प्रत्येक त्रैमासा में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजेगें। किन्तु कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2– अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के अनुलग्नक के प्रस्तर–8 में विहित व्यवस्था के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2010–11 के अब तक के त्रैमासों की सूचना निम्न प्रारूप में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दी जाय :–

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे के माह..... के अंतर्गत कुल जमा एवं नामें धनराशि का विवरण :–

अभिदान द्वारा जमा	अग्रिम की वापसी द्वारा जमा	कुल जमा	प्रत्याहरण के कारण नामे धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5

3– तत्पश्चात् यही प्रकिया वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आगामी त्रैमास हेतु अपनायी जाय तथा आगामी वित्तीय वर्षो में भी यही प्रकिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या जी–2– 17 (1)/दस–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 147 सा0 वित्त–7.2.2011–(2313)–3000+2 प्रतियां (आफसेट)।